

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2010/ 1778

दिनांक 24.11.10

—: आदेश :—

निम्नांकित चिकित्सा अधिकारी जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से वर्ष 2008 मे चयनित है, को राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत नियुक्ति पश्चात् 2 वर्ष का परीविक्षाकाल (Probation Period) उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को सन्तोषजनक रूप से पूर्ण होने पर सेवा नियम 63 के नियम 30 के तहत एतद्वारा स्थाई किया जाता है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी	जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	चि. अ. के पद पर परीविक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि
1	डॉ. सन्दीप सिंह चौहान	28.06.75	15.09.08	14.09.10
2	डॉ. अतुल वर्मा	13.04.79	08.10.08	07.10.10
3	डॉ. लालचन्द वर्मा	20.06.83	23.09.08	22.09.10
4	डॉ. छबील कुमार	15.03.83	03.10.08	02.10.10
5	डॉ. दिनेश कुमार	07.05.79	16.09.08	15.09.10
6	डॉ. ओम प्रकाश गजराज	27.05.73	17.09.08	16.09.10
7	डॉ. लक्ष्मण सिंह	28.02.81	29.09.08	28.09.10
8	डॉ. कैलाश बंसल	03.05.79	01.10.08	30.09.10
9	डॉ. लखपतराम	03.07.79	17.09.08	16.09.10
10	डॉ. सत्यवीर सिंह	13.08.78	17.09.08	16.09.10

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर

कमांक: राजपत्रित/डीपीसी/स्थाई/2010/1728

दिनांक 24.11.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, भरतपुर/जयपुर/अजमेर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, रवीन्द्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा/झुझुनु/भरतपुर।
4. सम्बन्धित अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय को अतिरिक्त प्रतियो सहित भेजकर लेख है, कि सम्बन्धित चिकित्सको की पत्रावली मे नस्तीबद्ध होना सुनिश्चित करे।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है, कि आदेश विभाग की वेबसाईट पर डाउनलोड कराने की व्यवस्था करे।
7. कार्यालय सहायक, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,  
राजस्थान, जयपुर